महत्वपूर्ण/समयबद्ध
संख्या–1674/81–2–2019–800(64)/2016

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2          लखनऊ, दिनांक 26 जुलाई, 2019

विषय– वेलसपन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा जनपद मीरजापुर के ग्राम ददरी खुर्द में स्थापित किये जाने वाले 1320 मेगावाट थर्मलपावर प्लान्ट के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक–381, दिनांक 15.07.2019 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2– प्रश्नगत प्रकरण में वेलसपन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा जनपद मीरजापुर के ग्राम ददरी खुर्द में स्थापित किये जाने वाले 1320 मेगावाट थर्मलपावर प्लान्ट के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा सारांशतः निम्नवत अवगत कराया गया है :–

1. वन विभाग की विज्ञप्ति सं0–617, दिनांक 11.10.1952 द्वारा 1643 एकड़ भूमि विज्ञापित हुई, जबकि गांव का कुल क्षेत्रफल 1202.50 एकड़ (1923 बीघा 19 बिस्वा) है।
2. वन विभाग की विज्ञप्ति सं0–617, दिनांक 11.10.1952 द्वारा विज्ञापित 1643 एकड़ भूमि में से वन अधिनियम की धारा–20 के अन्तर्गत 262.16 एकड़ (419 बीघा 09 बिस्वा) भूमि विज्ञापित हुई। शेष 1380.84 एकड़ भूमि विज्ञापित नहीं हुई।
3. वेलसपन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द में 834.68 एकड़ (337.792 हे0) भूमि क्रय की गई, जो तत्का0 प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्र दिनांक 18.08.2013 के अन्तर्गत वनभूमि नहीं है।
4. ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर में विज्ञप्ति सं0–617, दिनांक 11.10.1952 द्वारा विज्ञापित भूमि व धारा–20 द्वारा विज्ञापित भूमि के मध्य 1380.84 एकड़ भूमि अवशेष बच रही है और इसी अवशेष भूमि को विज्ञप्ति सं0–617 के अन्तर्गत प्रकाशित होने का आधार लेते हुए वन विभाग द्वारा उसे विज्ञप्ति 617 से आच्छादित वनभूमि होना बताया जा रहा है।

जिलाधिकारी द्वारा वन विभाग की विज्ञप्ति सं0–617, दिनांक 11.10.1952 द्वारा विज्ञापित भूमि रकबा 1643 एकड़ व वन अधिनियम की धारा–20 के अन्तर्गत विज्ञापित भूमि 262.16 एकड़ के मध्य जो 1380.84 एकड़ भूमि अवशेष बच रही है वह ग्राम सभा की भूमि है अथवा वन विभाग की है, के सम्बन्ध में यथोचित मार्गदर्शन का अनुरोध शासन के वन विभाग से किया गया है।

3– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में तत्काल सुस्पष्ट आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

APCO
2/10
CCF Nodal
29/7/19

4-- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर जनपद मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत भूमिगत वाटर पाइपलाईन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 है0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है, जिसके क्रम में शासन के पत्रांक-2691, दिनांक 27.07.2018 के माध्यम से कतिपय सूचनाएं मांगी गई थी, जिसका उत्तर अद्यतन अप्राप्त है। अतः उक्त पत्र द्वारा वांछित सूचना भी तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
उप सचिव।

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 215 /11-सी-FP/UP/Thermal/14236/2015, लखनऊ, दिनांकः जुलाई 29 ,2019

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, भू-अभिलेख एवं वनबंदोबस्त को सलग्नक सहित इस आशय से प्रेषित कि विषयगत प्रकरण में शासन द्वारा वांछित बिन्दुवार सूचना/सुस्पष्ट आख्या अभिलेखों सहित मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को प्रेषित करते हुये इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को उपरोक्त पत्र संलग्नक सहित इस आशय से प्रेषित कि विषयगत प्रकरण में शासन द्वारा वांछित बिन्दुवार सूचना/सुस्पष्ट आख्या अभिलेखों एवं संस्तुति सहित तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर को उपरोक्त पत्र संलग्नक सहित इस आशय से प्रेषित कि विषयगत प्रकरण में शासन द्वारा वांछित बिन्दुवार सूचना/सुस्पष्ट आख्या अभिलेखों एवं संस्तुति सहित इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- अधिकृत प्रतिनिधि, वेलस्पन एनर्जी, यू0पी0 प्रा0लि0, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक 509 /मी0/33 दिनांक अगस्त 3, 2019
प्रतिलिपि प्र0 व0 अ0 मीरजापुर को
प्रकरण के संबंध में अपेक्षित सूचना तत्काल
उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर।